"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2012—श्रावण 19, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री नवल सिंह मण्डावी, भा.प्र.से. (2000) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

श्री ब्राम्हणे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जुसुफ मिंज, भा.प्र.से. (1997) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण केवल संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण के प्रभार से मुक्त होंगे.

श्री ब्राम्हणे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, रायपुर के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री एन. के. खाखा, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री खाखा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री राजपालसिंह त्यागी, भा.प्र.से. (2001) कलेक्टर, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, नगरीय प्रशासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री यादव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, नगरीय प्रशासन, रायपुर के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के समकक्ष घोषित करता है.

श्री यादव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय शुक्ला, भा.व.से. आयुक्त, नगरीय प्रशासन की सेवाएं उनके पैतृक विभाग, वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

7. श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (2002) कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्रीमती कंगाले रीना बाबासाहेब, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, दुर्ग को मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्रीमती कंगाले द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् संचालक, मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

10. श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

11. श्रीमती आर शंगीता, भा.प्र.से. (2005) मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

12. श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005) कलेक्टर, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

13. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005) कलेक्टर, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, उद्योग एवं पदेन उप सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पदस्थ किया जाता है.

श्री एस. प्रकाश द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2007 के नियम 9 के तहत् संचालक, उद्योग, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

14. श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006) कलेक्टर, सुकमा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया जाता है तथा पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

15. श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

16. श्री पी. दयानन्द, भा.प्र.से. (2006) आयुक्त, नगर निगम राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, सुकमा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

17. श्री मो. कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री के. सी. देवसेनापति, भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. सुश्री किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009) अनुविभागीय अधिकारी, पण्डरिया, जिला कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्रीमती प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009) अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली, महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009) अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2007 के नियम 9 के तहत आयुक्त, नगर निगम बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009) अनुविभागीय अधिकारी, सक्ती, जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री जयप्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010) सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, पण्डरिया, जिला कबीरधाम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (2010) सहायक कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. (2010) सहायक कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

10. श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010) सहायक कलेक्टर, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-7-2012 के द्वारा श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (सीजी:2005) को संचालक, उद्योग एवं पदेन उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (सीजी:1992) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुक्त उद्योग केवल आयुक्त, उद्योग के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री रवि प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) सहायक कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्रमांक ई-1-7/2012/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जो कि वर्तमान में सचिव वेतनमान में है, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रमुख सचिव वेतनमान HAG 67000-(annual increment @ 3%)- 79000/- में पदोन्नत किया जाता है :—

1. श्री के. डी. पी. राव (सीजी:1988).
2. श्री जवाहर श्रीवास्तव (सीजी:1988).

2. श्री जवाहर श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9(1) के तहत् सचिव, महामहिम राज्यपाल के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-II, दिनांक 19-6-2012 के द्वारा दिनांक 1-7-2012 की स्थिति में प्रमुख सचिव वेतनमान में 04 रिक्तियां निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 1-7/2002/1-7.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-07-2009 द्वारा श्रीमती निर्मला सिंह, सेवानिवृत्त सीनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-9-1/2004/1-3, दिनांक 28-7-2004 के संलग्न छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के अनुसार व उसमें उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों के अधीन "विभागीय जांच आयुक्त" के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 28-07-2010 द्वारा उनकी संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 21-7-2010 से 20-7-2012 तक 02 वर्ष की वृद्धि की गई है. श्रीमती सिंह दिनांक 19-7-2012 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगी.

2. चूंकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 की कंडिका-7 (ख) में सेवानिवृत्त व्यक्ति को संविदा नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक देने का प्रावधान है अतः "विभागीय जांच आयुक्त" के पद पर श्रीमती सिंह की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता होने से राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 की कंडिका-7 (ख) के प्रावधान को शिथिल करते हुए उनकी संविदा नियुक्ति की अवधि में दिनांक 20-7-2012 से 19-7-2013 तक 01 वर्ष की वृद्धि करता है.

3. संविदा नियुक्ति की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा,-अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 9-21/2011/1-8.—श्री व्ही. के. छबलानी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1989 बैच) की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-12-2011 द्वारा इन्हें संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. एतद्द्वारा श्री छबलानी को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्रमांक 812/541/अव./2012/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 30-07-2012 से 09-08-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-07-2012 एवं 10, 11 एवं 12-08-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2012

क्रमांक 814/540/अव./2012/1-8/स्था.—श्री विक्रम राम भगत, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 25-06-2012 से 30-06-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-06-2012 एवं 01-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगत आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भगत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2012

क्रमांक 818/531/अव./2012/1-8/स्था.—श्री अब्बास खान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 03-07-2012 से 07-07-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08-07-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खान आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्रमांक 916/546/अव./2012/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 551-52/399/अव./2012/1-8/स्था., दिनांक 28-05-2012 द्वारा श्री एस. के. दुबे, उप संचालक, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 05-06-2012 से 15-06-2012 तक 11 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16-06-2012 से 28-06-2012 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 28-05-2012 के अनुसार यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक 918/568/अव./2012/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 30-07-2012 से 09-08-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-07-2012 एवं 10, 11 एवं 12-08-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक 6187/2278/21-ब/छ.ग./2012.—श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील-दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्रमांक-एफ 3-18/2005/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्सबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाने/चौकी का नाम, जिसमें अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-चारामा जिला-कांकेर	चौकी-हल्बा	ग्राम-हाराडुला	13

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 6-106/2001/वा.क. (आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रबोध मिंज, महापौर, नगर पालिक निगम अंबिकापुर, जिला-सरगुजा एवं श्री दिनेश गांधी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजनांदगांव को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-41/2010/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 15-04-2011 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के उपांतरण प्रस्ताव की सारणी क्रमांक-4 सा-2 (संशोधित)

रायपुरः भूखण्डों के विकास मापदण्ड आवासीय, वाणिज्यिक, उपयोग में उपांतीय खुला क्षेत्र का विवरण ऊंचाई 9.5 मीटर तक

भूखण्ड की गहराई (मीटर में)	आवासीय		वाणिज्यिक	
	सामने	पीछे	सामने	पीछे
6 मीटर तक	2.50	-	2.50	-
6 से अधिक-9 तक	2.50	-	3.00	-
9 से अधिक-12 तक	2.50	1.50	4.00	1.50
12 से अधिक-18 तक	3.00	2.00	4.50	1.50
18 से अधिक-24 तक	4.00	3.00	5.00	3.00
24 से अधिक	5.00	3.50	6.00	3.00
भूखण्ड की चौड़ाई (मीटर में)	**बाएं**	**दाएं**	**बाएं**	**दाएं**
7.5 मीटर तक	-	-	-	-
7.5 से अधिक-9 तक	-	2.00	-	-
9 से अधिक-12 तक	-	3.00	-	-
12 से अधिक-18 तक	1.50	3.00	2.00	3.00
18 से अधिक-24 तक	2.50	3.50	3.00	3.00
24 से अधिक	3.00	4.00	3.00	3.00

टीप :— (1) 7.5 मीटर चौड़े भूखण्ड पर पार्श्वकृत निर्माण अनुज्ञेय होगा परन्तु सामने और पीछे का खुला क्षेत्र उपरोक्त सारणी के अनुसार रहेगा.

(2) 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर न्यूनतम सामने का उपांतीय खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार छोड़ना आवश्यक है.

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई उपांतीय खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.)

(1)	18 मीटर एवं उससे अधिक	3. मीटर एवं
(2)	24 मीटर एवं उससे अधिक एवं	4.5 मीटर
(3)	30 मीटर एवं उससे अधिक एवं	6.0 मीटर
(4)	60 मीटर से अधिक	12.0 मीटर

परंतु जिन भूखण्डों में सारणी क्रमांक 4-सा-2 में उल्लेखित उपांतीय खुला क्षेत्र उपरोक्त मापदण्डों से अधिक है उस स्थिति में उक्त सारणी 4-सा-2 के मापदंड ही लागू होंगे.

(3) **पार्किंग संबंधी मापदंड**—150 वर्ग मीटर से 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों में बेसमेंट स्वीकार्य न होने के कारण लोअर ग्राण्ड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा.

4-सा-3 (संशोधित)

रायपुरः भूखण्डों के विकास मापदण्ड आवासीय, वाणिज्यिक भूखण्डों का कवरेज एवं फर्शीक्षेत्र अनुपात का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवासीय		वाणिज्यिक	
	निर्मित क्षेत्रफल	फर्शीक्षेत्र अनुपात	निर्मित क्षेत्र अनुपात	फर्शीक्षेत्र अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ. मध्य क्षेत्र (सी.ए.)				
150 से कम	60%	1.25	60%	1.25
150 से अधिक 240 तक	60%	1.25	55%	1.25
240 से अधिक 500 तक	50%	1.50	50%	1.50
500 से अधिक 750 तक	50%	1.50	45%	1.50
750 से अधिक 1000 तक	40%	1.50	40%	1.50
1000 से अधिक	35%	1.50	35%	1.50
ब. सघन विकसित क्षेत्र (डी.ए.-01)				
150 से कम	60%	1.25	60%	1.25
150 से अधिक 240 तक	60%	1.25	55%	1.25
240 से अधिक 500 तक	50%	1.50	50%	1.50
500 से अधिक 750 तक	50%	1.50	45%	1.50
750 से अधिक 1000 तक	40%	1.50	40%	1.50
1000 से अधिक	35%	1.50	35%	1.50
स. मध्यम विकसित/विकास योग्य क्षेत्र (डी.ए.-02)				
150 से कम	60%	1.25	60%	1.50
150 से अधिक 240 तक	50%	1.25	50%	1.50
240 से अधिक 500 तक	50%	1.25	50%	1.50
500 से अधिक 750 तक	40%	1.50	45%	1.75
750 से अधिक 1000 तक	40%	1.50	40%	1.75
1000 से अधिक	35%	1.75	40%	2.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
द. अल्प विकसित निम्न घनत्व के क्षेत्र (डी.ए.-03)				
150 से कम	60%	1.25	60%	1.50
150 से अधिक 240 तक	50%	1.25	50%	1.50
240 से अधिक 500 तक	40%	1.25	50%	1.50
500 से अधिक 750 तक	35%	1.50	40%	1.50
750 से अधिक 1000 तक	35%	1.50	40%	1.75
1000 से अधिक 15000 तक	30%	1.75	35%	2.00
15000 से अधिक	30%	2.00	30%	2.50

टीप :— सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग में निम्नानुसार मापदंड सी.ए., डी.ए.-01, डी.ए.-02, डी.ए.-03 में लागू होंगे.

(1) 500 वर्गमीटर के भूखंडों पर-निर्मित क्षेत्रफल 40% एवं एफ.ए.आर. 1.2

(2) 500 वर्गमीटर से अधिक-निर्मित क्षेत्रफल 30% एवं एफ.ए.आर. 1.50

500 वर्गमीटर से कम के भूखण्डों पर सारणी 4 सा 2 के उपांतीय खुला क्षेत्र (एम.ओ.एस.) जे आवासीय उपयोग में वर्णित है लागू होंगे.

(3) सारिणी क्रमांक 4-सा-3 में अधिकतम निर्मित क्षेत्र का वर्णन दिया गया है. सारिणी क्रमांक 4-सा-3 में दिये गये निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत यदि सारिणी क्रमांक 4-सा-2 में वर्णित एम.ओ.एस. के कारण कम होता है तो भी 4-सा-2 के अनुसार एम.ओ.एस. छोड़ना अनिवार्य है.

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण रायपुर नगर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 21-03-2011/नौ/17.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार "स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शासकीय-निजी-सहभागिता नीति" अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

"छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शासकीय-निजी-सहभागिता नीति"

1. **प्रस्तावना.**—राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक निवेश की आवश्यकता तथा राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश एवं निजी क्षेत्रों की कार्य कुशलता को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासकीय-निजी सहभागिता (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP) का स्वागत करती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 भी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रति वचनबद्धता दर्शाती है, जिसके अनुसार "......यह निजी स्वास्थ्य गतिविधियों के सभी स्तरों (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चस्तरीय) पर निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वागत करती है."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक-पृथक नीतियां अधिसूचित की हैं. तथापि, राज्य शासन का यह मानना है कि स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र के लिए निजी निवेश का उपयोग नए कॉलेज/अस्पताल खोलने के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत लोक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं को और सुदृढ़ बनाए जाने के लिए भी किया जाना चाहिए. इसी प्रकार कई गैर सरकारी संस्थाएं तथा स्वैच्छिक संगठन ऐसे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उपयोगी कार्य कर रहे हैं, किन्तु उन्हें उनके कार्यकलापों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन की सहभागिता की आवश्यकता होती है. तद्नुसार, यह नीति-पत्र राज्य सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक समग्र रूपरेखा निरूपित करती है.

2. **शासकीय-निजी सहभागिता की परिभाषा.**—भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया "राष्ट्रीय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी प्रारूप-अक्टूबर 2011" दस्तावेज शासकीय-निजी सहभागिता या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को एक ऐसी व्यवस्था बताता है, जिसमें कोई शासकीय संस्था या निकाय किसी निजी संस्था को चिन्हांकित लोक सेवा अथवा सेवाओं को एक पूर्व निर्धारित समयावधि के लिए सरकार की ओर से प्रदाय की जाने के लिए अनुबंधित करती है. शासकीय परसंपत्तियों का संचालन (मैनेजमेंट कॉन्ट्रेक्ट, जिसमें शासकीय परसंपत्ति को एक निश्चित समय के लिए निजी क्षेत्र को संचालन के लिए सौंप दिया जाता है), Build-Own-Transfer (BOT) यानि "बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो" या इसके पर्याय जैसे Build-Lease-Transfer (BLT) यानि "बनाओ, किराया लेकर चलाओ, हस्तांतरित करो", Design-Build-Operate-Transfer (DBOT) यानि "डिजाइन करो, बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो", या Operate-Maintain-Transfer (OMT) यानि "चलाओ, सम्हालो, हस्तांतरित करो" इत्यादि माध्यमों से किया जाता है. इस परिभाषा के अनुसार कतिपय सेवाओं की "आउटसोर्सिंग" जैसे अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था करने हेतु निजी संस्था के साथ अनुबंध करना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, और न ही Build-Own-Operate (BOO) यानि "बनाओ, रखो एवं चलाओ" पद्धति को शासकीय-निजी सहभागिता माना जाएगा.

यह देखते हुए कि शासकीय-निजी सहभागिता वर्तमान में प्रचालित लोक स्वास्थ्य परिसम्पत्तियों को मजबूत करने अथवा इसमें सुधार लाने के लिए एक प्रभावी जरिया हो सकता है, यह नीति-पत्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को एक वृहत्तर रूप में परिभाषित करता है, जिसके अनुसार "शासकीय-निजी सहभागिता" एक ऐसी व्यवस्था मानी जाएगी, जिसके तहत कोई शासकीय संस्था या निकाय किसी निजी संस्था या निकाय को शासन की ओर से जन-सामान्य को ऐसी सेवा/सेवाएं प्रदाय करने के लिए अनुबंधित करती है, जो अभी तक शासकीय संस्था या निकाय सीधे प्रदान कर रही हो. इस वृहत्तर परिभाषा में आऊटसोर्सिंग के साथ-साथ ऐसे विकल्प भी शामिल हैं, जिनमें निजी संस्थाओं को सरकार की ओर से सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जा सके या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण शासन की सहभागिता से किया जा सके. दूसरे शब्दों में, यह नीति-पत्र शासकीय-निजी सहभागिता को एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है जो न केवल निजी निवेशक को नए स्वास्थ्य केयर (देखभाल) अधोसंरचना के सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है वरन् निम्नलिखित अन्य प्रकार की भागीदारियों को भी शामिल करता है :—

(क) निजी क्षेत्र की संस्थाओं को दूरदराज के इलाकों में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों को चलाने के लिए अनुबंधित करना.

(ख) सरकारी अस्पतालों में सहायक सेवाओं जैसे साफ-सफाई की व्यवस्था, मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था, लाण्ड्री सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि कार्यों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अनुबंधित करना.

(ग) दूरदराज के इलाकों में सेवाएं प्रदान करने के लिए चलित चिकित्सा इकाईयों की व्यवस्था, मरीजों के लिए आपातकालीन परिवहन व्यवस्था तथा शासकीय सेवाओं के हितग्राहियों जैसे गर्भवती माताओं के लिए परिवहन व्यवस्था इत्यादि के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अनुबंधित करना.

(घ) सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी संस्थाओं को अनुबंधित करना, जैसे जिला अस्पताल में विशेष ओ.पी.डी. ब्लॉक की स्थापना, सरकारी अस्पतालों में जांच केन्द्रों (Diagnostic facilities/services) की स्थापना या सरकारी अस्पतालों में लगे हुए उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव (Operation and Management) के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अनुबंधित करना.

तद्नुसार, यह नीति-पत्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक ऐसे ढांचे का निरूपण करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहायता से वर्तमान लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना की प्रभाविता को मजबूत कर जन सामान्य को प्रदाय की जाने वाली गुणवत्ता को सतत् सुधारना/बढ़ाना है.

3. **नीति के उद्देश्य.**—मूलतः इस नीति का उद्देश्य वर्तमान लोक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभाविता को मजबूत कर जन सामान्य को प्रदाय की जाने वाली गुणवत्ता को सतत् सुधारना/बढ़ाना है एवं इस दिशा में एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का निरूपण करना है जो पूरी पारदर्शिता के साथ निजी क्षेत्र के चयन की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाए.

स्वास्थ्य क्षेत्र में शासकीय-निजी सहभागिता नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(i) लोक स्वास्थ्य सेवाओं के तंत्र का विस्तार एवं उनके द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का उन्नयन

(ii) एक स्थिर/स्थायी, पारदर्शी और संवाही नीतिगत तथा प्रशासनिक वातावरण की स्थापना करना, जिससे लोक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश और कौशल का समुचित इस्तेमाल किया जा सके.

(iii) ग्रामीण, खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना एवं इसके लिए सभी इच्छुक निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य केयर (देखभाल) प्रदाताओं (गैर-सरकारी संगठनों, सी.बी. स्वास्थ्य संगठनों, धर्मार्थ ट्रस्टों, लोकोपचारी संगठनों और वाणिज्यिक निजी क्षेत्र) के साथ भागीदारी करना.

(iv) सरकार की ओर से सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों के चयन एवं मान्यता प्रदान करने के लिए संस्थागत व्यवस्था का निर्माण करना.

(v) लोक-निजी सहभागिता परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी एवं जांच के लिए एक पारदर्शी और स्वतंत्र/निष्पक्ष तंत्र (तृतीय पार्टी) की स्थापना करना.

(vi) राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोक (शासकीय)-निजी सहभागिता परियोजना भागीदारों के क्षमता निर्माण के लिए प्रणाली/पद्धति (सिस्टम) स्थापित करना.

4. **मार्गदर्शी सिद्धांत.**—छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना/योजना की पहचान, उनका कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन आदि निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे:

(i) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रणाली अपनाई जाएगी, जिसमें निष्पक्ष व्यवहार (Fair Practice) एवं अनिवार्य प्रकटीकरण (Mandatory Disclosure) आदि सिद्धांतों का समुचित समावेश होगा.

(ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं को जन-सामान्य की सुविधा को केन्द्र में रखते हुए बनाया गया है.

(iii) निजी भागीदारों के चयन हेतु एक पारदर्शी एवं प्रतियोगी प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा जिसमें, जहां उचित हो, ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जो "लाभ के लिए नहीं (not-for-profit)" के आधार पर काम कर रही हैं. पारदर्शिता लाने के लिए यथासंभव वेब आधारित "ई-प्रोक्योरमेंट" की व्यवस्था की जा सकती है.

(iv) परियोजना जीवन चक्र के दौरान सक्षम नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा. आवश्यकतानुसार, परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी के लिए Project Monitoring Unit (PMU) एवं Dispute Resolution Mechanism का भी प्रावधान किया जायगा. विशेष रूप से, चाहे बोली दो चरणों में हो ("रूचि की अभिव्यक्ति" तत्पश्चात् "प्रस्ताव हेतु अनुरोध") अथवा केवल एक चरण में हो (प्रस्ताव हेतु अनुरोध जो कि खुले विज्ञापन के मार्फत मंगाए गए हों), चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व सम्मेलन हमेशा एक अनिवार्य कदम होगा.

(v) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथा संभव प्रत्येक परियोजना में पूर्व निर्धारित एवं मापनीय प्रदर्शन मानकों (Pre-determined, Measurable Performance Standards) का प्रावधान हो, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का आंकलन किया जा सके एवं पारितोषिक या दण्ड (Incentive or Penalty) का निर्धारण किया जा सके. उपयोगकर्ता देय यूजर शुल्क भी परफार्मेंस से जुड़ा रहेगा.

(vi) अप्रार्थित प्रस्तावों (unsolicited proposals) पर हमेशा "स्विस चुनौती" (Swiss Challenge) तंत्र/पद्धति द्वारा विचार किया जाएगा.

(vii) निजी क्षेत्र के भागीदारों जैसे डिज़ाइन-वित्त-निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (DFBOT) डिजाइन-वित्त-निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन (DFBOT), सोशल मार्केटिंग एण्ड फ्रेन्चाइसिंग, संयुक्त उद्यम, सेवा करार आदि को नियोजित करने के विभिन्न मॉडलों को प्रासंगिकता के आधार पर अपनाया जाएगा.

(viii) ऐसी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाएं जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत चलाई जा रही हैं, जैसे संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत् कार्य निष्पादित किए गए अनुबंध, संबंधित कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों द्वारा कार्यान्वित होते रहेंगे.

5. **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए प्राथमिकता क्षेत्र.**—यद्यपि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बहुत संभावनाएं हैं, फिलहाल इस नीति का लक्ष्य निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करना है :—

(i) शासकीय अस्पतालों में गैर-क्लीनिकल सहायक सेवाओं, जैसे नैदानिक (Diagnostic) सुविधाओं/सेवाओं का नेटवर्क, सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन, अधोसंरचना अनुरक्षण, सुरक्षा, भोजन सेवाएं, लाण्ड्री सेवाएं, हास्पिटल ऑटोमेशन सिस्टम आदि, को आउटसोर्स करना.

(ii) चलित (मोबाइल) स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन परिवहन प्रणाली को विस्तारित करना.

(iii) राज्य/जिला/उप-जिला स्तरीय अस्पतालों में टेलीमेडिसीन/टेली-स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का सृजन करना.

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल अस्पतालों और अन्य सुविधा केन्द्रों, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में, का प्रचालन और प्रबंधन "प्रचालन एवं प्रबंधन" (Operation and Management) पद्धति से करना.

(v) विद्यमान जिला अस्पतालों में सुपर-स्पेशियल्टी ब्लॉक/रिसर्च केन्द्र स्थापित करना.

(vi) मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए आई.टी. प्लेटफार्म (सूचना प्रौद्योगिकी स्थल) स्थापित करना.

(vii) मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में दवाईयों की दुकानों की स्थापना करना.

(viii) निर्माण, खरीदी एवं सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए तृतीय पक्ष (third party) द्वारा निगरानी/जांच की व्यवस्था का विकास करना जैसे शासन द्वारा खरीदी जाने वाली दवाईयों की गुणवत्ता जाँच के लिए निजी ड्रग परीक्षण केन्द्रों को अनुबंधित करना.

(ix) मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में ब्लड बैंकों/ब्लड भण्डारण इकाईयों की स्थापना/संचालन करना.

(x) विभाग के अधीन कार्यरत शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण करना. इसमें "ई-एजुकेशन" व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन भी शामिल है.

(xi) विभाग में कार्यरत कर्मियों के क्षमता निर्माण व कौशल उन्नयन हेतु विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण करना.

उपर्युक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्र उदाहरण स्वरूप हैं और इस नीति के कार्यान्वयन हेतु अधोवर्णित एम्पावर्ड कमेटी इस सूची में समय-समय पर संशोधन करने के लिए सक्षम होगी.

6. **संस्थागत व्यवस्था**

6.1 **पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (स्वास्थ्य) हेतु एम्पावर्ड कमेटी.**— स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन देने और उनका कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप

(स्वास्थ्य) एम्पावर्ड कमेटी गठित की जाएगी. समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

o	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अध्यक्ष
o	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (न्यूनतम उप सचिव स्तर के)	सदस्य
o	योजना विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
o	विधि विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
o	आयुक्त, स्वास्थ्य	सदस्य
o	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
o	संचालक, परिवार कल्याण	सदस्य
o	संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	सदस्य
o	संचालक, आयुष	सदस्य
o	संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र	सदस्य
o	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
o	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य सचिव

एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा :

(i) पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं का समय-समय पर पुनरावलोकन एवं संशोधन करना.

(ii) परियोजनाओं के निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करना, खासकर इस बात पर निर्णय लेना कि किन योजनाओं के लिए तकनीकी सलाहकार की सेवाओं का क्रय किया जाना है. जहां आवश्यक हो, खासकर अधोसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना का विकास निर्धारित प्रक्रिया यथा, Pre-feasibility analysis एवं Value for Money (VfM) Analysis द्वारा किया गया है.

(iii) परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना. जिन परियोजनाओं में राज्य शासन के बजट का उपयोग किया जायगा, उनमें वित्तीय प्रत्यायोजन के अधिकारों के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किया जायगा.

(iv) कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना एवं सुधार हेतु निर्देश प्रदान करना.

(v) अप्रार्थित प्रस्तावों पर विचार करना और उस पर आगे की जाने वाली कार्रवाई पर निर्देश प्रदान करना.

(vi) समर्थनकारी वातावरण (Enabling Environment) के निर्माण के लिए मैन्युवल, अन्य सामग्री तथा प्रशिक्षण इत्यादि हेतु दिशा निर्देश देना.

(vii) आवश्यक होने पर समिति मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करेगी.

(viii) पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप से संबंधित अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कमेटी आवश्यक समझे.

एम्पावर्ड कमेटी की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अथवा इससे अधिक बार, अध्यक्ष द्वारा यथा निर्णय अनुसार, आयोजित की जाएगी.

6.2 **पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (स्वास्थ्य) प्रकोष्ठ.—** पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं में एक पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (स्वास्थ्य) प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. इस प्रकोष्ठ पर होने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) अंतर्गत उपलब्ध राशि से किया जाएगा.

पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (स्वास्थ्य) प्रकोष्ठ एम्पावर्ड कमेटी के निर्देशन में एवं राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र तथा अन्य तकनीकी सलाहकारों की मदद से परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन का कार्य संपादित करेगा.

यह प्रकोष्ठ एम्पावर्ड कमेटी के सचिवालय की भूमिका भी अदा करेगा.

6.1 **भूमिका निरूपण.**— परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए PPP प्रकोष्ठ, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र एवं तकनीकी सलाहकार की भूमिका निम्नानुसार होगी.

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र (1)	PPP प्रकोष्ठ (2)	तकनीकी सलाहकार (3)
कार्य सलाहकार/विधिक सलाहकार का चयन (जहां आवश्यक हो)		
रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) दस्तावेज बनाना एवं चयन हेतु अंतिम मूल्यांकन करना.	अंतिम मूल्यांकन में सहभागिता. अनुमोदन प्रक्रिया का संचालन.	
एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए भागीदारों का चयन		
रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) दस्तावेजों की समीक्षा, यदि अनुरोध किया जाता है.	रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) दस्तावेजों का पुनरीक्षण एवं अनुमोदन.	पूर्व-साध्यता लागत (pre-feasibility costing) और Viability Gap आंकलन (जहां आवश्यक हो.)
मूल्यांकन प्रक्रिया में सहभागिता	विज्ञापन जारी करना और वेबसाइट पर अपलोड करना. रूचि की अभिव्यक्ति/RFP/मूल्यांकन रिपोर्टों/संविदा दस्तावेज का अनुमोदन. जहां आवश्यक हो, वित्तीय अनुमोदन हेतु एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित करना. सरकार की ओर से संविदा/करार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना एवं तदनुसार योजना हेतु राशि भुगतान करना.	रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) दस्तावेजों का निर्माण, प्रक्रिया प्रबंधन, बोली-पूर्व बैठक, मूल्यांकन एवं संविदा/करार दस्तावेज का निर्माण. **नोट :**— जहां तकनीकी सलाहकार का प्रावधान नहीं है, ये कार्य राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को सौंपे जा सकते हैं.
तृतीय पक्ष (तीसरी पार्टी) द्वारा निगरानी/जांच		
तृतीय पक्ष निगरानी का ढांचा बनाना. निगरानी के लिए एजेंसियों का चयन. निगरानी जांच/फीडबैक रिपोर्टों का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव, जहां आवश्यक हो.	योजना हेतु फण्ड जारी करना; यदि तृतीय पक्ष निगरानी रिपोर्ट करार/संविदा में प्रावधानित प्रगति की पुष्टि करता है तो फण्ड जारी करने के लिए अन्य किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी. अन्यथा, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तीसरी निगरानी प्रणाली से अनुशंसाओं की समीक्षा कर एवं जहां आवश्यक हो एम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति ली जावेगी.	

(1)	(2)	(3)
PPP प्रक्रिया से संबंधित व्यक्तियों/एजेंसियों का क्षमता निर्माण		
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, उदाहरणार्थ, जीवनदीप समितियों के पदाधिकारी-गण के लिए.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकनों को अंतिम रूप देना.	
प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना.	सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित व्यक्ति ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जिनके कार्य का संबंध प्रत्यक्ष रूप से PPP से संबंधित है.	

7. यह नीति पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नीतियों तथा दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक 6079/अ/वर्ष 20 - /भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	पाहंदा	0.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पाहंदा एनीकट निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक 15/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बोड़सरा प. ह. नं. 26	8.93	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कनेरी व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक 22/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित, भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियमे, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	कडरी प. ह. नं. 1	51.34	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	नहरनार जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2012

क्रमांक 16/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हथनी प. ह. नं. 25	1.80	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक 32/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पोंड़ी प. ह. नं. 30	0.87	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	तुंगननाला व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक 33/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मचखण्डा प. ह. नं. 30	4.52	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	तुंगननाला व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर एवं सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक 34/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बाम्हू प. ह. नं. 6	0.25	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.), बिलासपुर (छ.ग.)	सीपत बेलतरा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 जुलाई 2012

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	ससकालो	1.878	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	श्याम परियोजना (घुनघुट्टा) के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जुलाई 2012

रा. प्र. क्र./13/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लवईडीह	0.312	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	श्याम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जुलाई 2012

रा. प्र. क्र./16/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	पोडिपा	12.901	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	श्याम परियोजना (घुनघुट्टा) के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 जुलाई 2012

रा. प्र. क्र./17/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रेवापुर	39.060	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अंबिकापुर.	श्याम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 10-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	कुम्हडईखुर्द	0.94	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तेल नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 11-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	कुम्हड़ईकला	1.62	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तेल नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	गोडिहारी प. ह. नं. 21	1.638	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डी व्यपवर्तन योजना के वियर निर्माण, डूबान एफ्लक्स बंड एवं मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	गोपालभौना प. ह. नं. 05	0.457	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डी व्यपवर्तन योजना के वियर निर्माण, डूबान एफ्लक्स बंड एवं मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सिरौली प. ह. नं. 21	0.998	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्ढी व्यपवर्तन योजना के वियर निर्माण, डूबान एफ्लक्स बंड एवं मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	डौकीजोर प. ह. नं. 21	0.928	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्ढी व्यपवर्तन योजना के वियर निर्माण, डूबान एफ्लक्स बंड एवं मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 06/अ/82/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-मैनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धनोरा, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/1	0.10
98/2	0.09
100	0.05
290	0.30
281	0.08
291/2	0.08
291/3	0.05
292	0.14
401	0.08
379	0.19
400	0.02
520	0.17
580	0.12
583	0.11
584	0.08
587	0.20
377/3	0.01
382	0.12
526	0.14
560	0.09
563	0.01
235	0.33
योग 22	2.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- घुमरापदर जलाशय योजना के मुख्य नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 09/अ/82/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-मैनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरनाबाहल, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.20
10	0.14
134/1	0.07
408	0.09
134/2	0.19
189	0.28
186	0.21
431/1	0.33
185	0.19
410/2	0.06
182/2	0.11

(1)	(2)
182/1	0.13
196	0.37
197/1	0.08
198/3	0.16
197/2	0.06
489	0.33
501	0.33
479	0.07
506	0.18
514	0.07
507	0.05
508	0.06
91	0.18
92	0.08
90	0.09
383	0.17
386	0.06
389	0.17
88	0.06
89	0.05
60	0.15
67	0.09
87	0.10
86/1	0.15
86/3	0.05
85/1	0.16
38	0.20
82	0.10
74	0.09
81	0.25
317	0.22
71	0.10
80	0.10
79	0.06
78	0.05
75	0.08
68	0.09
244	0.17
66	0.02
238	0.12
254	0.03
264	0.07
275/2	0.12
256/1	0.13
265/1	0.14
263	0.05
265/2	0.07
265/3	0.11
274	0.14
270	0.16
271	0.16
333	0.04
334/1	0.27
69	0.20
246	0.31
419	0.20
417	0.34
416	0.20
396	0.40
376/2	0.05
467	0.05
400/4	0.03
465	0.03
466	0.07
318/2	0.03
403	0.04
372/1	0.05
421/1	0.05
410/3	0.08
421/4	0.20
410/4	0.04
410/1	0.18
401	0.04
400/2	0.15
405/1	0.02
402	0.08
04	0.16
385	0.04
372/2	0.04
372/3	0.04
370/1	0.10
198/1	0.26
203	0.36
444/1	0.12
458	0.05
438/1	0.06
456	0.05
457	0.04
474	0.12
454	0.07
476	0.07

	(1)	(2)
	477	0.16
	473	0.05
	475	0.04
	438/2	0.07
योग	106	13.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- घुमरापदर जलाशय योजना के मुख्य नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 5 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कांसाबेल
- (ग) नगर/ग्राम-कोरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	254	0.101
	272	0.081
योग	2	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोरंगा पाकरटोली चोंगरीबहार मार्ग पर ईब नदी सेतु के जामुण्डा से कोरंगा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 5 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कांसाबेल
- (ग) नगर/ग्राम-जामुण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	27/2	0.065
योग	1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोरंगा पाकरटोली चोंगरीबहार मार्ग पर ईब नदी सेतु के जामुण्डा से कोरंगा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक 355.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डड़ई, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	159/4	0.045
योग	01	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, मुख्यालय जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक 156/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./05/अ. 82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिरहसौद, प.ह.नं. 73/14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-60.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362/1	0.040
362/2	0.100
364/1	0.113
364/2	0.223
364/3	0.109
368	0.380
373	0.085
1395/1	0.095
1396/1	0.231
1396/2	0.454
1397/1	0.428
1398	0.045
1399	0.773
1400/2	0.178
1401/1	0.466
1401/2	0.466
1401/3	0.466
1401/4	0.713
1401/5	0.717
1401/6	0.717

(1)	(2)
1402	0.287
1403/1	0.296
1408/1-2-3	0.306
1409/1	0.430
1422/5	0.040
1422/7	0.142
1505/1, 1505/2, 1505/3	9.717
1506	0.372
1507/1	0.263
1507/2	0.267
1507/3	0.267
1508	0.624
1509	0.291
1510/1	0.101
1510/2	0.105
1511	0.300
1514/1	0.210
1515/1	0.211
1516/1	0.207
1517/1	0.385
1518/2	0.040
1519	0.040
1520/1	0.051
1521/1	0.172
1522	0.336
1523	0.120
1525/8	0.356
1529/1-2	0.050
1557/2	0.082
1559/2	0.286
1560	0.259
1561	0.316
1562/1	0.607
1562/3	0.202
1562/4	0.210
1562/5	0.356
1562/6	0.352
1562/7	0.607
1563/1	0.648
1563/2	0.539
1563/3	0.466
1563/4	0.049
1568/1	0.504
1568/2	0.214
1568/3	0.445
1568/4	0.077
1569/1	0.199
1570	0.303
1571/1	0.163
1571/3	0.133
1573/2	0.202
1574/1	0.227
1574/2	0.223
1575	0.638
1576/1	0.223
1576/3	0.192
1577	0.733
1578/2	0.214
1578/4	0.053
1578/5	0.053
1579/1	0.388
1582	1.392
1583	0.458
1584/1	0.360
1584/2	0.360
1584/3	0.356
1584/4	0.356
1585	0.053
1586	0.845
1587	0.279
1588	0.425
1589/1	0.129
1589/3	0.065
1590/1	0.560
1590/2	0.561
1591/1	0.534
1591/3	0.251
1594	0.129
1595	0.510
1597	0.882
1598	0.299
1599	0.138
1600	0.328
1601	0.235
1604	0.364
1605/1	0.125
1605/2	0.121
1606	0.336
1607	0.259
1608	0.275
1610	0.170
1611	0.162
1612	0.202
1613	0.793

(1)	(2)
1614	0.413
1616	1.133
1617	0.486
1619	0.121
1620	0.494
1621/1	0.109
1625	0.741
1626/1	0.138
1626/2	0.134
1626/3	0.134
1627/1	0.142
1627/2	0.142
1628	0.312
1629	0.332
1630/1	0.081
1630/2	0.081
1631	0.757
1632	0.425
1633	0.741
1634/1	0.081
1634/2	0.077
1635/1	0.263
1635/3	0.263
1636/1	0.036
1636/2	0.146
1636/4	0.037
1636/5	0.037
1637/1	0.274
1637/2	0.273
1638/1	0.182
1638/2	0.186
1638/3	0.186
1639	1.283
1641	0.162
1642/1	0.081
1642/2	0.081
1642/3	0.081
1643	0.429
1644	0.291
1645	0.619
1646	0.646
1647	0.235
1648	0.138
1649	0.251
1652	0.089
1653	0.227
1654	0.336
योग 161	60.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सार्वजनिक प्रयोजन नया रायपुर विकास एवं निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्रमांक 157/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./51-अ/82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेन्द्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-34.706 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
346/2	0.117
346/7	0.101
346/8	0.061
346/10	0.049
346/11	0.191
347/1	0.106
347/3	0.086
347/4, 348/3	0.070
353/2	2.015
353/5	0.121
353/6	0.260

(1)	(2)
353/15-16	0.464
353/21, 353/22	1.031
353/23, 353/24	3.718
353/25, 353/26	2.144
353/30	1.518
353/31	1.518
353/32	4.218
353/33	0.540
353/34	0.317
353/38	0.202
353/39	0.093
353/44	0.135
353/49	0.270
353/50	0.135
353/51	0.220
354/1	1.618
354/2	0.438
354/3	0.773
354/4	1.744
354/5	1.619
357/1	1.202
357/2	0.999
360/1	2.740
360/8	0.202
373/1	0.125
373/2	0.125
373/3	0.129
374/1, 375/1	0.085
374/2, 375/2	0.081
376	0.413
377/1	0.332
378/1	0.043
378/3	0.064
382	0.071
383/1	0.079
383/2	0.142
383/4	0.595
383/5	0.101
385	1.286
योग 50	34.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास कार्य (ग्राम बेन्द्री योजना क्षेत्र) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्रमांक 158/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./04/अ. 82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प.ह.नं. 72/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-61.69 हेक्टेयर -

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
547	0.780
548	0.020
838	0.370
842	0.150
845	0.100
848	0.320
850	1.930
853	0.020
857	0.270
861	0.080
864	0.580
866	0.120
870	0.360
872	0.640
883	0.260
885	0.230
886	0.170
893	0.080
894	0.180
896	0.310
898	0.110
899	0.080
901	0.220
902	0.420
903	0.250
904	0.290

(1)	(2)
905	0.100
906	0.080
907	0.070
908	0.020
909	0.040
911	0.100
912	0.040
913	0.160
914	0.140
915	0.060
916	0.100
917	0.030
918	0.020
919	0.280
920/2	0.030
921	0.070
937	0.270
938	0.160
944	0.300
945	0.350
946	0.590
947	0.480
948	0.130
949	0.070
953	0.440
955	0.350
960	0.200
961	0.270
962	0.190
963	0.760
964/1	0.150
964/2	0.200
965/1	0.530
965/3	0.280
965/5	0.220
966	0.130
967	0.530
968	0.170
969	0.090
973	0.290
974	0.100
975	0.040
976	0.070
977	0.090
978	0.170
979	0.150
980	0.210
982	0.140
985	0.090
987	0.400
988	0.100
1436	0.150
1437	0.150
1502/2	1.060
1508	0.350
1510	0.450
1512	3.370
1513	0.660
1516	2.280
1521	0.140
1528	0.100
1712	0.400
1714	0.160
1721	0.180
1723	1.680
1804	0.680
1807	0.090
1808	0.550
1819/1	0.080
1840	0.200
1848	0.410
1849	0.020
1851	0.650
1852	0.140
1853	0.130
1854	0.450
1867	0.070
1869	0.150
1871	0.890
1885	0.130
1887	0.470
1889	0.050
1893	0.220
1900	0.390
1901	8.410
1925	0.130
1930	0.210
1931	0.290
1932	0.390
1933	0.370
1934	1.380
1936	0.540
1962	0.400
1965	0.340
1967	0.140

(1)	(2)
1968	0.170
1969	0.260
1971	1.350
1989	0.500
1991	0.300
1992	0.060
1996	0.080
1999	0.050
2007	0.300
2010	0.850
2012	0.350
2013	0.570
2016	1.010
2017	0.320
2021	0.270
2023	0.090
2025	0.250
2027	0.180
2031	0.390
2032	0.590
2034	0.480
2035	0.260
2043/1	0.180
2044	4.070
2053	0.410
2056	0.460
योग 147	61.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2012

क्रमांक 159/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 50/अ.-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरा, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
696/1	0.25
योग 1	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत इंटेकवेल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 10-15/2012/16.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 74 का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय में इससे पूर्व जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से :-

1. अधोलिखित अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट कर्मचारी बीमा न्यायालयों का गठन करता है, जिसमें स्तंभ 3 में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के लिये एक न्यायाधीश होगा, जिसका मुख्यालय सूची के अनुरूप स्तंभ 4 में निर्दिष्ट है.

2. अनुसूची के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट अधिकारी को संबंधित कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है.

अनुसूची

क्र.	कर्मचारी बीमा न्यायालय	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित स्थानीय क्षेत्र	मुख्यालय	अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कर्मचारी बीमा न्यायालय रायपुर	1. रायपुर	रायपुर	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय क्र.-1
		2. मंदिर हसौद, बैकुंठ (तिल्दा), नवापारा-राजिम, भाटापारा, बलौदाबाजार.		पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय क्र.-2
2.	कर्मचारी बीमा न्यायालय दुर्ग	कुम्हारी, नंदिनीरोड, भिलाई, हथखोज, दुर्ग, रसमड़ा.	दुर्ग	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय दुर्ग.
3.	कर्मचारी बीमा न्यायालय राजनांदगांव	राजनांदगांव, टेडेसरा, तुमडीबोर्ड	राजनांदगांव	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय राजनांदगांव.
4.	कर्मचारी बीमा न्यायालय धमतरी	धमतरी	धमतरी	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय धमतरी.
5.	कर्मचारी बीमा न्यायालय बिलासपुर	बिलासपुर, बिल्हा, सीपत	बिलासपुर	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय बिलासपुर.
6.	कर्मचारी बीमा न्यायालय जांजगीर-चांपा	जांजगीर चॉपा, अकलतरा, मड़वा, आमझर, डभरा.	जांजगीर-चॉपा	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय जांजगीर-चॉपा.
7.	कर्मचारी बीमा न्यायालय रायगढ़	रायगढ़, पतरापाली, तराईमाल, तमनार, भूपदेवपुर, धरंघोड़ा, जामगांव.	रायगढ़	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय रायगढ़.
8.	कर्मचारी बीमा न्यायालय कोरबा	कोरबा, बाल्को नगर, दर्रीजमनीपाली, छुरीकला, पताड़ी (उरगा)	कोरबा	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय कोरबा.

No. F 10-15/2012/16:- In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Employees' State Insurance Act, 1948 and in Supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government with immediate effect hereby-

1. Constitutes Employee's Insurance Courts specified in column (2) of the schedule below, each consisting of one Judge for the local areas specified against them in column (3) with head quarters as shown in the corresponding entries in column (4) thereof and

2. Appoints the officers respectively specified in column (5) of the said schedule to be the Judge of the said Employee's Insurance Courts.

SCHEDULE

S. No. (1)	Employee's Insurance Court (2)	Local Notified Areas Under ESI Scheme (3)	Head Quarters (4)	Name of Officer (5)
1.	Employee's Insurance Court Raipur.	1. Raipur 2. Mandirhasod, Baikunth (Tilda), Navapara- Rajim, Bhatapara, Balodabazar.	Raipur	Presiding Officer Labour Court No. 1 Presiding Officer Labour Court No. 2
2.	Employee's Insurance Court Durg.	Kumahari, Nandini Road, Bhilai, Hathkhoj, Durg, Rasmada.	Durg	Presiding Officer Labour Court Durg.
3.	Employee's Insurance Court Rajnandgaon.	Rajnandgaon, Tedesara, Tumdibord.	Rajnandgaon	Presiding Officer Labour Court Rajnandgaon.
4.	Employee's Insurance Court Dhamtari.	Dhamtari	Dhamtari	Presiding Officer Labour Court Dhamtari.
5.	Employee's Insurance Court Bilaspur.	Bilaspur, Bilha, Seepat.	Bilaspur	Presiding Officer Labour Court Bilaspur.
6.	Employee's Insurance Court Janjgeer-Champa.	Janjgeer, Champa, Akaltara, Madwa, Aamjhar, Dabhra.	Janjgeer-Champa	Presiding Officer Labour Court Janjgeer-Champa.
7.	Employee's Insurance Court Raigarh.	Raigarh, Patrapali, Traimal, Tamnar, Bhupdevpur, Gharghoda, Jamgaon.	Raigarh	Presiding Officer Labour Court Raigarh.
8.	Employee's Insurance Court Korba.	Korba, Balco Nagar, Darrijamnipali, Chhurikala, Patadi (Urga)	Korba	Presiding Officer Labour Court Korba.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, अपर मुख्य सचिव.